प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.11.23

थाना लोनी पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 25.11.2023 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहिद हुसैन पुत्र मकदूम हुसैन निवासी 100 फुटा रोड प्रेमनगर लोनी गा0बाद उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभि0 शाहिद हुसैन पुत्र मकदूम हुसैन निवासी 100 फुटा रोड प्रेम नगर कस्बा व थाना लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मेरा लोवर सिलाई का काम है मेरे घर पर मैने तीन सिलाई की मशीन लगा रखी है जिसको मै और मेरी बेटिया चलाती है मेरी लोवर की एक नई पार्टी से लोवर सिलाई के लिए बात हुई थी मै उससे लोवर सिलाई के लिए कटिंग लेकर आया था मैने अपनी पत्नी नूरबानो से धागे व किराये के लिए 600 रुपये लिये थे बाद में मुझे उस नई पार्टी से भी 2000 रुपये एडवांस मिल गये थे तो मैने 600 रुपये अपनी पत्नी नूरबानो को वापस कर दिये थे और मैने फ्राई चिकन मंगाने के लिए पुनः अपनी पत्नी से पैसो की मांग की तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया इस बात को लेकर हमारी आपस मे कहासुनी हो गयी तो कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने स्वंय ही फ्राई चिकन मंगा लिया था जिसको मेरे बच्चो ने खाने से मना कर दिया इस बात को लेकर मेरी व मेरी पत्नी की आपस में कहासुनी और गाली गलौच हो गयी मुझे गुस्सा आ गया मैने वही पर टंगी हुई कपडे काटने की कैंची उठा ली और वह कैंची उसके गले में मार दी और डर के कारण घर से भाग गया था मेरी पत्नी को मेरा बेटा व बेटी दिल्ली अस्पताल लेकर गये थे बाद मे मुझे पता चला कि उसकी अस्पताल मे मृत्यु हो गयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शाहिद हुसैन मकदूम हुसैन निवासी प्रेमनगर लोनी गा0बाद उम्र करीब 50 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना गेट पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 24-11-23 को सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई जिसमें 02 युवक थाना नन्दग्राम के गेट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे है, जिस रील पर एक फिल्मी गाना " कि बेल पर छूटा है हर शख्स यहाँ , कोतवाली से रिश्ता पुराना मिलेगा, नादान है वो लड़के जो जाते है डेट पर , कचहरी में हमारा ठिकाना मिलेगा" लगा हुआ है , जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर पुलिस की छवि खराब हुई है।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीम गठन कर सर्विलांस व सीसीटीवी कैमरे व साईबर की मदद से तीनों अभियुक्तगण (02 रील मे दिखने वाले, 01 रील बनाने वाला) व्यक्ति को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गण का नाम व पता-

1.शोएब पुत्र इरशाद अली निवासी म0नं0 367 गली नं0 5 हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गा0बाद
2.मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शहीद निवासी म0नं0 366 गली नं0 5 हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गा0बाद
3. शईद पुत्र शहजाद निवासी म0नं0 1053 गली नं0 3 कैला भट्टा थाना कोतवाली गा0बाद (रील बनाने वाला)

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभि0 शोएब द्वारा बताया गया कि हम लोग दिनांक 24-11-23 को थाने पर अपने भाई के साथ हुए पूर्व के झगड़े में पंजीकृत अभियोग की जानकारी करने के लिए थाने आये थे, थाने से निकलते समय मैंने व आदिल ने शईद से अपनी वीडियो मो0फोन पर बनवायी और घर जाकर उसको ऐडटिंग कर रील बनाकर प्रसिद्ध होने के लिए सोशल मीडिया पर डाल दी।

अभि0 का आपराधिक इतिहास—

1 अभि0गण शैएब, आदिल, शहीद के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग आई0टी0एक्ट का पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 23.11.2023 को अमन पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी मकान न0 9/132 चिरंजीव विहार थाना कविनगर गाजियाबाद के द्वारा एक लिखित तहरीर थाना कविनगर पर अपने मां की हत्या कर देने के सम्बन्ध में दी गयी जिसके आधार पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरणः- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यों (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टेलीजेन्स के आधार पर नामजद/वांछित अभियुक्त प्रमोहन उर्फ टीटू पुत्र रामनिवास निवासी गाँव रोकरी थाना कम्पिल जिला फरूर्खाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 24.11.2023 को डायमण्ड फ्लाईओवर के नीचे औद्योगिक क्षेत्र से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोहन उर्फ टीटू ने पूछताछ में बताया कि मेरा व मेरी पत्नी का घरेलू विवाद चल रहा था जिसमें मेरी सास की अहम भुमिका थी। जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी अन्य के साथ रहने लगी थी। मैं अपनी पत्नी को बुलाने आया था। उसी विवाद में मेरी सास की हत्या हो गयी।

अभियुक्त का नाम पता-

प्रमोहन उर्फ टीटू पुत्र रामनिवास निवासी गाँव रोकरी थाना कम्पिल जिला फरूर्खाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 25 लाख रुपए की कीमत की 01 किलोग्राम अफीम सहित 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक-24.09.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च द्वारा थाना नन्दग्राम क्षेत्र में नन्दग्राम कट के पास से झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 01 किलोग्राम अफीम सहित 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 01 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि मैं झारखण्ड के जनपद पलामू का रहने वाले हूँ और 10वीं कक्षा तक पढा हूँ मेरी थोडी बहुत खेती बाडी है जिसमे घर का खर्च अच्छे से नही चल पाता है तथा इन्द्रदेव यादव ने बताया कि वह झारखण्ड के जिला चतरा का रहने वाला हूँ और अनपढ है तथा रिश्ते मे जितेन्द्र उपरोक्त का फूफा है। दोनो ने बताया कि हमारी तरफ मादक पदार्थो का बहुत काम होता है हमारे कुछ जानने वाले गांजा व अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे आकर करते है, उनसे हमारा सम्पर्क हुआ हम एक दो बार उनके साथ आये थे तो हमें 10,000-10,000 रू0 मिले थे फिर हमने सोचा कि इस काम मे काफी फायदा है, तो हम विदेशी नाम के व्यक्ति जो राँची का रहने वाला है के सम्पर्क मे आये और तस्करी करने लगे। अफीम व अन्य नशीले पदार्थ लेकर हम बरेली, बदाँयू, मुरादाबाद, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करने लगे। अभियुक्तो ने बताया कि हमें अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर हम बस व ट्रेनों से आते हैं, हम सीधे नही आते रास्ते मे गाडियाँ बदलते रहते है जिसको माल देना होता है वो जगह पहले ही तय कर लेते है कि माल कहाँ और कितने बजे देना है, जब हम माल लेकर चलते है तो अपने फोन बन्द कर लेते है और किसी से सम्पर्क नही करते जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर डिलीवरी न पहुँचे दें, हमें मेरठ में 01 किलोग्राम अफीम सप्लाई का ऑर्डर मिला था, माल डिलीवरी करने से पहले हम पकडे गये। पूछताछ पर यह भी बताया कि हम काफी समय से यह काम कर रहे है, मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, हम अपने घर के खर्चे इसी से पूरे करते है।

अभियुक्तो से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-.

1.जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व राजकुमार यादव निवासी ग्राम सिगदा थाना मनातू जिला पलामू झारखंड उम्र करीब 25 वर्ष

2.इन्द्रदेव यादव पुत्र स्वर्गीय देवनारायण यादव निवासी ग्राम लौगतरी थाना परतापुर जिला चतरा झारखंड उम्र करीब 62 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम - 01 किलोग्राम कीमत लगभग 25 लाख रूपये

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त जितेन्द्र के विरूद्ध झारखण्ड में 01 व गाजियाबाद मे 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

2.अभियुक्त इन्द्रदेव के विरूद्ध झारखण्ड में 02, जनपद बरेली में 01 व गाजियाबाद मे 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे/निशादेहीं पर लूट के 14209/- रूपये, चोरी की 01 मोटर साइकिल व 02 मोबाइल बरामद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.11.23 को चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. अरूण पुत्र सुशील कुमार निवासी गली न0- 01, मकान न0- पी/21 फेज 4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली 2. राम पुत्र दीपक निवासी गली न0- 08, फेज 04, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष 3- विक्की ठाकुर पुत्र गिरधारी निवासी गली न0- 06, फेज 04, मकान न0- 239, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 26 वर्ष को समय करीब 10.25 बजे शनि मंदिर के पास लगभग 10 कदम दूरी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से जनपद बागपत से चोरी की 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर, 02 मोबाईल फोन REALME व APPLE बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल हम तीनों ने जून माह में बिजवारा गाँव जो बागपत मे पडता है से चोरी की थी। जिसे हम लूट की घटना करने मे इस्तेमाल करते है बरामद REAL ME का फोन हमने कुछ दिनो पहले ही दिल्ली से चोरी किया था तथा बरामद APPLE IPHONE हमने 3 दिन पहले ही जोहरीपुर टोल टेक्स दिल्ली के पास से लूटा था। हम लोग उपरोक्त मोटर साईकिल का इस्तेमाल फोन लूटने व शादी विवाहो मे पैसे का बैग आदि लूटने मे करते है। अभि0 राम व विक्की ने बताया कि दिनांक 23.11.23 की रात में हम दोनों ने इसी मोटर साइकिल से गंगा इन्कलेव वेहटा हाजीपुर में एक शादी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति जो अंधेरे में पैशाब कर रहा था उससे एक बैग छीना था जिसमें करीब 40-45 हजार रूपये थे, कुछ सिक्के बैग के अन्दर रखे थे, तथा कार्ड में भी कुछ पैसे थे, साहब हम दोनो पर कई मुकदमें है, इसलिए हमने बैग से 40 हजार रूपये निकालकर अपने वकील को मुकदमें की पैरवी के लिए दे दिये थे वह कार्ड व 5 हजार रूपये हमने वरामद चोरी की मोटर साईकिल की सीट कवर के नीचे एक सफेद पिन्नी में मोडकर रख लिये थे, जो उसी मोटर साईकिल की सीट कवर के नीचे रखे है जिन्हें हम दोनों वरामद करा सकते हैं उक्त दोनों अभियुक्त गणों की निशानदेही पर उक्त मोटर साइकिल के सीट कवर के अन्दर से एक सफेद पिन्नी में लूटी गयी धनराशि में से 14,209 रुपये वरामद हुए। उक्त लूट के सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर अभियोग पंजीकृत है। अभि0गणों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1. अरूण पुत्र सुशील कुमार निवासी गली न0- 01, मकान न0- पी/21 फेज 4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली
2. राम पुत्र दीपक निवासी गली न0- 08, फेज 04, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष
3- विक्की ठाकुर पुत्र गिरधारी निवासी गली न0- 06, फेज 04, मकान न0- 239, शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- लूटे गये पैसों में से 14,209 रुपये वरामद।
- जनपद बागपत से चोरी की गई 01 मोटर साईकिल
- दो मोबाईल फोन REALME व APPLE

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर 01 मुकदमा लूट व एक मुकदमा चोरी का पंजीकृत है एवं दिल्ली में आधा दर्जन चोरी के मुकदमें व जनपद बागपत में एक मुकदमा चोरी का पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

"OPERATION CONVICTION" अभियान के अन्तर्गत थाना साहिबाबाद पुलिस व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 03 माह 20 दिन के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा।

घटना का संक्षिप्त विवरण बिन्दु वार –

1- दिनांक- 13.05.2005 को अभियुक्त अशोक उर्फ पव्वा पुत्र नन्दलाल नि0 नई बस्ती नोबस्ता थाना नोबस्ता कानपुर हाल पता शिव विहार लाल कुँआ गाजियाबाद के विरुद्ध धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

2- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 24.11.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश गैगस्टर एक्ट जनपद गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त अशोक उर्फ पव्वा पुत्र नन्दलाल नि0 नई बस्ती नोबस्ता थाना नोबस्ता कानपुर हाल पता शिव विहार लाल कुँआ गाजियाबाद को धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में 02 वर्ष 03 माह 20 दिन का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.11.2023 को थाना खोड़ा पर वादिया निवासी राजीव नगर थाना खोड़ा ने लिखित तहरीर देकर अपने पुत्र मनोज के साथ मारपीट व चाकू मारकर घायल करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभियुक्तगण 1. यूसुफ पुत्र मौ0 फरियाद निवासी आरसी 905 राजीव नगर खोडा गा0बाद उम्र 26 वर्ष 2. साहिल पुत्र मौ0 फरियाद निवासी आरसी 905 राजीव नगर खोडा गा0बाद उम्र 24 वर्ष को दिनांक 25.11.2023 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मौहल्ला राजीव विहार खोड़ा से गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. यूसुफ पुत्र मौ0 फरियाद निवासी आरसी 905 राजीव नगर खोडा गा0बाद उम्र 26 वर्ष
2. साहिल पुत्र मौ0 फरियाद निवासी आरसी 905 राजीव नगर खोडा गा0बाद उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना खोड़ा पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा ऑटो मे लूट करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल, 01 अवैध तंमचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 ऑटो व 2000/- रु० बरामद।

दिनांक 10.11.2023 को वादिया श्रीमती निवासी रामनगर गाजियाबाद व दिनांक 24.11.2023 को वादी मिट्ठू पुत्र सहमद नि0 मकनपुर गेट न0-1 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद के द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना लिंक रोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें दिनांक 24.11.2023 को

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर बिजनेस पार्क के पास बन्द पडे सिनेमाघर के सामने ग्राम महाराजपुर से शातिर किस्म के मारपीट कर लूट करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. आदित्य पंचाल उर्फ आदिल पुत्र सुनील पंचाल निवासी A व्लाक म० न० E.724 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उर्म करीब 23 वर्ष 2. समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा निवासी ग्राम किशनगंज थाना-गारत बस्ती जिला-समस्तीपुर विहार हाल पता साहिबाबाद मण्डी थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 3. सत्यभान सिह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सैय थाना-चाँद जिला-भिवानी हरियाणा तथा हाल पता सरकारी स्कूल के सामने वाली गली ग्राम साहिवावाद थाना-लिक रोड़, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 4. सूरज नन्द लाल उर्फ राजू पुत्र नन्द लाल निवासी ग्राम - डी०टी० कालेज मीरगंज वेगूसराय थाना-सिंगौल जिला-वेगूसराय विहार हाल पता-कड़कड़-माडल-थाना- लिक रोड़ जिला-गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- आदित्य पंचाल उर्फ आदिल पुत्र सुनील पंचाल निवासी A व्लाक म० न० E.724 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उर्म करीब 23 वर्ष।

2- समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा निवासी ग्राम किशनगंज थाना-गारत बस्ती जिला- समस्तीपुर विहार हाल पता साहिबाबाद मण्डी थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

3- सत्यभान सिह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सैय थाना-चाँद जिला-भिवानी हरियाणा तथा हाल पता सरकारी स्कूल के सामने वाली गली ग्राम साहिवावाद थाना-लिक रोड़, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

4- सूरज नन्द लाल उर्फ राजू पुत्र नन्द लाल निवासी ग्राम - डी०टी० कालेज मीरगंज वेगूसराय थाना-सिंगौल जिला-वेगूसराय विहार हाल पता-कड़कड़-माडल-थाना- लिक रोड़ जिला-गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम चारों एनसीआर क्षेत्र में घूम फिर कर जब भी कोई लूट करते है तो इसी ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं बाकी समय में ऑटो रिक्शा छिपा कर खड़ा कर देते है। ऑटो का नम्बर भी छिपा देते है जिससे सही नम्बर की पहिचान न हो सके, लूट करने के वक्त हम चारों में से जितने उपलब्ध होते है लूट कर लेते हैं। लूटे गये सामान को बेचकर पैसा बराबर बराबर बाट लेते है।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 मोबाइल
- 01 तंमचा , 01 जिन्दा कारतूस
- 01 ऑटो रिक्शा विना न० प्लेट
- मुकदमे से सम्बन्धित 2000/- रु०।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1- आदित्य पंचाल उर्फ आदिल पुत्र सुनील पंचाल पर थाना मसूरी में 02 अभियोग व थाना इंदिरापुरम पर अभियोग 01 व थाना नंदग्राम पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

2- समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा पर थाना इंदिरापुरम पर अभियोग 02 अभियोग पंजीकृत है।

3- सूरज नन्द लाल उर्फ राजू पुत्र नन्द लाल पर थाना लिंक रोड़ पर 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम